संख्या: 6/2016/ 177/61-2016.

प्रेषक,

एस0 पी0 उपाध्याय,

उप सचिव,

उ0 प्र0 शासन।

सेवा में,

मुख्य निर्वाचन अधिकारी,

उ0प्र0, लखनऊ।

निर्वाचन अनुभाग लखनऊ: दिनांक 10 मार्च, 2016.

विषय: जिला निर्वाचन कार्यालय, फिरोजाबाद में सुरक्षा हेतु सृजित चौकीदार के एक अस्थाई पद के कार्यालय में वृद्धि।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या- 277/61-2015 दिनांक 07 अप्रैल, 2015 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-8000/17-ए-1-45/1-89 दिनांक 15 दिसम्बर, 1990 द्वारा सृजित एवं पिछली बार 29 फरवरी, 2016 तक विस्तारित जिला निर्वाचन कार्यालय, फिरोजाबाद के चौकीदार के एक अस्थायी पद, वेतनमान रू0 2550-3200 के कार्यकाल को दिनांक 28 फरवरी, 2017 तक की अवधि के लिए विस्तृत किए जाने की महामहिम राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान करते हैं कि उक्त पद बिना किसी पूर्व सूचना के किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है।

2- उक्त पदधारक को समय-समय पर निर्गत आदेशों के अनुसार स्वीकृत मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते जो भी अनुमन्य हों, देय होंगें।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-41 के अंर्तगत लेखाशीर्षक "2015-निर्वाचन-आयोजनेतर-103- निर्वाचक नामावली तैयार करना और मुद्रण-05-निर्वाचन अधिष्ठान व्यय" की सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामें डाला जायेगा

----/2

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

4- ये आदेश वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-ए-2-2574/दस-90-24(8)/92 दिनांक 02 दिसम्बर, 1998 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(एस0 पी0 उपाध्याय)
उप सचिव।

संख्या: 6/2016/ 177(1)/61-2016 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

(1) महालेखाकार उ0प्र0, इलाहाबाद।
(2) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-12
(3) जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय, फिरोजाबाद।
(4) कोषाधिकारी, फिरोजाबाद।
(5) गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(एस0 पी0 उपाध्याय)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।